न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 01, हरदोई।

CNR No. UPHR010046582023

Crl. Misc Case No. 516/2023

गुड्डी बनाम उ०प्र० सरकार

दिनांक–06.05.2026

निस्तारण प्रार्थनापत्र 3 क अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम

1). पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नही। प्रार्थी को पूर्व में कई अवसर भी दिये जा चुके हैं परन्तु कोई उपस्थित नही आ रहा है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 3 क नियत है।

2). प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र 3 क अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० 2, हरदोई द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.03.2023 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी बीमार हो गयी थी और बीमार होने के कारण समय से निगरानी नही दाखिल कर सकी। प्रार्थिनी ने निगरानी दायर करने में जानबूझ कर देरी नहीं की जो भी बिलम्ब हुआ है वो प्रार्थिनी की बीमारी के कारण हुआ है। प्रार्थिनी को निगरानी दायर करने हेतु प्रार्थिनी का बिलम्ब माफ़ करना आवश्यक है प्रार्थिनी का धारा 5 मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

3). प्रार्थना पत्र के साथ विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 03.03.2023 की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है।

4). प्रार्थना पत्र 3 क पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है।

5). बार–बार पर पुकार कराये जाने पर भी प्रार्थी की ओर से पत्रावली पर सुनवाई व बल देने हेतु कोई उपस्थित नही आया। विपक्षी की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्त द्वारा मौखिक आपत्ति प्रस्तुत की गयी एवं प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6). विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० 2, हरदोई द्वारा परिवाद सं० 14206/2022 गुड्डू बनाम जगपाल आदि के मामले में पारित आदेश दिनांकित 03.03.2023 द्वारा प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० खारिज किया गया है। उपरोक्त आदेश के सम्बन्ध मे प्रार्थिनी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 19.07.2024 को इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि बीमारी के कारण विचारण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश की जानकारी नही हो सकी और निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के शमन हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7). पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि कि प्रार्थी द्वारा स्वयं का बीमार होने का कथन किया गया है परन्तु इसके द्वारा अपने इलाज कराये जाने के बावत कोई चिकित्सीय प्रपत्र प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थिनी/ निगरानीकर्ता वर्तमान में भी दिनांक 23.12.2024 से लगातार अनुपस्थित हो रहा है। आज कई बार पुकार कराये जाने के बावजूद भी प्रार्थिनी/ निगरानीकर्ता की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ।

8). उपरोक्त प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को प्रश्नगत आदेश दिनांकित 03.03.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 23.03.2023 को प्राप्त हुयी और उसके द्वारा प्रार्थना

Digitally signed by Premendra Kumar
Date: 2026.05.06 16:49:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्र दिनांक 19.07.2023 को दाखिल किया गया है। प्रार्थना पत्र के विलम्बित होने का कोई समुचित कारण भी दर्शित नही किया गया है जिससे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावी प्रतीत हो। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिनी दिनांक 03.12.2024 से लगातार अनुपस्थित हो रही है और प्रार्थना पत्र पर बल देने हेतु कोई उपस्थित भी नही आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अपने वाद के निस्तारण में कोई रूचि नही रह गयी है।

9). अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि विलम्ब सदभावी नही है। तद्नुसार प्रार्थी/आवेदक का प्रार्थना पत्र 3 क स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

–आदेश–

i). दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं० 516/2023 गुड्डी बनाम उ०प्र० सरकार के मामले में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 3 क अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–06.05.2026

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 01, हरदोई।